समाहरणालय, दरभंगा
(जिला स्थापना शाखा)
–: आदेश :–

किरतपुर प्रखंड में पदस्थापन काल में विभिन्न मदों में ली गई अग्रिम राशि मो0–153633=00 (एक लाख तिरपन हजार छः सौ तैंतीस) रूपये मात्र का समायोजन अनेक निर्देश के बावजूद नहीं कराने के आरोप में कार्यालय ज्ञापांक–634/स्था0, दिनांक–31.03.2013 के द्वारा श्री विष्णुकांत राम, तत्कालीन लिपिक, किरतपुर प्रखंड सम्प्रति सदर भूमि सुधार कार्यालय, दरभंगा के विरूद्ध प्रपत्र–"क" में आरोप पत्र गठित करते हुए कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1724/स्था0, दिनांक–23.09.04 के द्वारा श्री राजीव रंजन सिन्हा, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त अपने पत्रांक–466, दिनांक–20.09.2006 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें प्रपत्र–"क" में अंकित सभी आरोप प्रमाणित पाये गयें।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, किरतपुर ने अपने पत्रांक–815, दिनांक–02.08.13 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि किरतपुर प्रखंड नजारत के अंकेक्षण के फलस्वरूप प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–97/04–05 में आरोपी श्री विष्णुकांत राम, लिपिक के द्वारा गबनग्रस्त राशि मो0–210343=28 (दो लाख दस हजार तीन सौ तैंतालीस रूपये अठाईस पैसे) रूपये मात्र दर्शाई गई है। इस प्रकार श्री राम द्वारा गबन ग्रस्त राशि मो0–153633=00 एवं मो0–210343=28 कुल मो0–363976=28 रूपये मात्र प्रतिवेदित किये गये हैं। गबनग्रस्त राशि के विरूद्ध श्री राम के द्वारा निम्न विवरणानुसार मो0–131410=00 (एक लाख एकतीस हजार चार सौ दस) रूपये मात्र जमा किया गया है :–

(1)	चेक संख्या–910239, दिनांक–31.03.05 द्वारा जमा राशि	–	83410=00
(2)	NR No. – 514408, दिनांक–27.02.07 द्वारा जमा राशि	–	20000=00
(3)	NR No. – 514411, दिनांक–09.04.07 द्वारा जमा राशि	–	15000=00
(4)	NR No. – 514420, दिनांक–05.06.07 द्वारा जमा राशि	–	10000=00
(5)	नीलाम पत्र वाद सं0–12/02–03 में जिला नजारत में दि0–07.09.05 को जमा	–	3000=00
	योग	–	131410=00

श्री राम के विरूद्ध गठित प्रपत्र–"क" के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, किरतपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आरोपी श्री राम से जॉच प्रतिवेदन की प्रति के साथ द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई तथा सुनवाई की तिथि दिनांक–29.11.13 को निर्धारित की गई। आरोपी निर्धारित तिथि को स्पष्टीकरण के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हुए तथा उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया।

इस आरोपी के विरूद्ध गठित प्रपत्र–"क", संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, द्वितीय कारणपृच्छा के आलोक में आरोपी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा स्पष्टीकरण के आलोक में सुनवाई के फलस्वरूप आरोपी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 एवं यथा संशोधित नियमावली–2010 के नियम–14(V) के आलोक में निम्न शास्तियाँ अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है :–

(1) **संचयी प्रभाव से 05 (पाँच) वार्षिक वेतन वृद्धियों पर रोक।**

(2) **वसूली हेतु अवशेष गबनित राशि (363976=28 – 131410=00) मो0 232566=28 रूपये मात्र 8% प्रतिवर्ष की दर से सूद सहित इनके वेतन से कटौती की जायेगी।**

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त अधिरोपित शास्तियों की प्रविष्टि आरोपी श्री राम के सेवापुस्त में कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक–2–1/3–13– 54 /स्था0, लहेरियासराय, दिनांक 9 वीं जनवरी, 2014

प्रतिलिपि :– श्री विष्णुकांत राम, तत्कालीन लिपिक, प्रखंड कार्यालय, किरतपुर सम्प्रति सदर भूमि सुधार कार्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा/प्रखंड विकास पदाधिकारी, किरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

9/1/14
जिलाधिकारी,
दरभंगा।